हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
(आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

संख्याः रैव (डी.एम.सी) (ए)1–1/2009 दिनांक 9 दिसम्बर, 2011

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम:	1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन नियम, 2011 हैं ।
परिभाषाएं:	2. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–
	(क) "अधिनियम" से आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अपेक्षित है; और
	(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
	(2) उन शब्दों और पदो के, जो इसकें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।
राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें (धारा 14(5)	3.(1) राज्य प्राधिकरण के नामनिर्देशित गैर–सरकारी सदस्यों का कार्यकाल, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पूर्व हटाए नहीं जाते, दो वर्ष होगा ।
	(2) राज्य प्राधिकरण का कोई नामनिर्देशित गैर–सरकारी सदस्य, सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा ।
	(3) राज्य सरकार किसी नामनिर्देशित गैर–सरकारी सदस्य को, उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् हटा सकेगी ।
	(4) राज्य प्राधिकरण का कोई नामनिर्देशित गैर–सरकारी सदस्य, राज्य प्राधिकरण के सदस्य के पद से राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आशय का लिखित में हस्ताक्षरित नोटिस देते हुए त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस को ऐसा नोटिस अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है ।
	(5) जहां राज्य प्राधिकरण के कार्यालय में त्यागपत्र, मुत्यु या अन्यथा किसी नामनिर्देशित गैर–सरकारी सदस्य का पद रिक्त होता है, तो रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी ।
	(6) राज्य प्राधिकरण के सरकारी सदस्य अपनी शासकीय स्थिति की शर्तों द्वारा विनियमित होंगे और गैर–सरकारी सदस्यों को जैसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत किए जाएं यात्रा और दैनिक भत्ते राज्य सरकार

	सरकार के ग्रेड–1 अधिकारियों को यथा अनुदेय, संदत्त किए जाएंगे।
सलाहकार समिति के सदस्य के भत्ते [(धारा 17 (2)]	4. धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति के शासकीय सदस्य अपनी शासकीय स्थिति द्वारा विनियमित होंगे और गैर–सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानियत राज्य सरकार के ग्रेड–1 अधिकारियों को यथा अनुदेय बैठक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।
राज्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य [(धारा 20 (3)]	5.(1) राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा : परन्तु किसी बैठक की अध्यक्षता न कर सकने की दशा में, वह राज्य कार्यकारी समिति के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नाम निर्देशित करेगा ।
	(2) राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को आपात स्थिति की दशा में, राज्य कार्यकारी समिति की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी, किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग उक्त समिति द्वारा अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा ।
	(3) राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, जब कभी इसके कृत्यों के पक्ष निपटारे हेतु अपेक्षित हो, उप–समिति गठित कर सकेगा ।
राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रकिया [(धारा 20 (4)]	6 (1) राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान विनिश्चित करेगा ।
	(2) राज्य कार्यकारी समिति, जब कभी भी आवश्यक हो और ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा अध्यक्ष द्वारा कम से कम तीन दिन के पूर्व नोटिस से विनिश्चित किया जाए, बैठक करेगी : परन्तु आपात बैठक की दशा में तीन दिन का पूर्व नोटिस आज्ञापक नहीं होगा ।
	(3) राज्य कार्यकारी समिति, जब कभी आवश्यक हो, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार, बैठक करेगी ।
	(4) राज्य कार्यकारी समिति, बैठक के प्रारम्भ होने से कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व परिचालित कार्यसूची के अनुसार कार्य की चर्चा करेगी: परन्तु आपात बैठक की दशा में, कार्यसूची का पूर्व परिचालन आज्ञापक नहीं होगा ।
	(5) राज्य कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष सहित, तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।
	(6) राज्य कार्यकारी समिति, राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी विशेषज्ञ को किसी विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।
	(7) राज्य कार्यकारी समिति, प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित करेगी ।
उप–समिति का कार्यकाल और	7. (1) धारा 21 के अधीन गठित उप–समिति का कार्यकाल ऐसा होगा, जैसा इसके गठन के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

कार्यकाल और उप–समिति के सदस्यों को संदेय भत्ते [(धारा 21 (3)]	
	(2) उप–समिति के किसी शासकीय सदस्य को ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे उनको उनकी शासकीय स्थिति में समय–समय पर अनुदेय हो ।
	(3) उप–समिति के गैर–सरकारी सदस्य को बैठकों के लिए दैनिक और यात्रा भत्ते, राज्य सरकार के ग्रेड–1 अधिकारी के बराबर यथा अनुदेय प्राप्त होंगे ।
जिला प्राधिकरण की बैठक और गणपूर्ति [धारा 25]	8. (1) जिला प्राधिकरण के नामनिर्देशित गैर–सरकरी सदस्यों का कार्यकाल, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व हटाया न जाए, दो वर्ष होगा ।
	(2) जिला प्राधिकरण का कोई नामनिर्देशित गैर–सरकारी सदस्य, राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा । राज्य सरकार किसी सदस्य को, उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् हटा सकेगी ।
	(3) जिला प्राधिकरण का कोई नामनिर्देशित गैर–सरकारी सदस्य, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आशय का लिखित में हस्ताक्षरित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको ऐसा नोटिस अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है ।
	(4) जहां जिला प्राधिकरण के कार्यालय में नामनिर्देशित गैर–सरकारी सदस्य का पद त्यागपत्र, निरर्हता, मृत्यु के कारण या अन्यथा रिक्त होता है, तो रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी ।
	(5) जिला प्राधिकरण के शासकीय सदस्य अपनी शासकीय स्थिति की शर्तों द्वारा विनियमित होंगे और गैर–सरकारी सदस्यों को, राज्य सरकार के ग्रेड–1 अधिकारी को यथा अनुदेय, यात्रा और दैनिक भत्ते बैठक के दौरान देय होंगे ।
	(6) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण की बैठक का समय और स्थान विनिश्चित करेगा ।
जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां (धारा 26 और 27)	9. (1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, यथास्थिति भारत सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण के निदेशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन में जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे कार्यान्वयन की निश्चययात्रा की बाबत राज्य प्राधिकरण से मार्गदर्शन ले सकेगा ।
	(2) जिला प्राधिकरण प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त राज्य कार्यकारी समिति के माध्यम से राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा ।
	(3) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा और उक्त प्राधिकरण के सम्बन्ध में सर्वसम्बन्धित के साथ समस्त पत्राचार करेगा ।
राज्य प्राधिकरण के लेखे (धारा 48)	10. राज्य प्राधिकरण के लेखे में धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित राज्य आपदा मोचन निधि तथा धारा 48 की उपधारा (1)